न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 271/09

GCMS id : 2009 /00154

1-2 भैरूलाल, घनश्याम पुत्र जगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

–(वादीगण)

बनाम

1 यासीन पुत्र याकूब जाति मुसलमान, निवासी रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2 लक्ष्मीनारायण पुत्र बिरधीलाल
3 मुसा0 पार्वती बाई पुत्री बिरधीलाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रानीपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा।
5–8 मोहनलाल, बंशीलाल, सूरजमल, गिर्राज प्रसाद पिसरान मंडीलाल जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
9 छीतरलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
9.1 मूर्ति बाई पत्नी स्व0 छीतरलाल जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा, कोटा।
9.2 अनीता पुत्री स्व0 छीतरलाल
9.3 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 छीतरलाल
9.4 प्रदीप पुत्र स्व0 छीतरलाल
नाबालिग जरिये वली माता ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
10. बद्रीलाल, जगदीश, शिव प्रकाश बनवारीलाल पुत्रान् लालचन्द जाति माली, निवासी ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री शंभूदयाल विजय, वादीगण अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.04.2026

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विवादित आराजी पर घोषणा खातेदारी, राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

- वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा खसरा नम्बर 37 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 83 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 190 की 0.35 हक्टर, खसरा नम्बर 193 की 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 309 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0. 38 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.25 हैक्टर, कुल किता 15 कुल रकबा 8.09 हैक्टर स्थित है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादी क्रम–2 लगायत 3, 1/2, 1/2 हिस्से के हिस्सेदारान व शामलाती खातेदारान है।
- गत खसरा नम्बर 302 जिसके हाल खसरा नम्बर 348 बनाये गये है, उसका पुराने नक्शे के अनुसार रकबा कम कर खसरा नम्बर 352 व 353 अलग से कायम कर वादीगण का रकबा सेटलमेन्ट द्वारा नक्शे मे कमी कर कम कर दिया गया है, और आराजी खसरा नम्बर 353 प्रतिवादी नम्बर–1 के गलत रूप से खाते दर्ज कर दिया एवं खसरा नम्बर 352 गलत रूप से सिवायचक नाला दर्ज कर दिया गया है, जबकि पूर्व के नक्शे मे न तो कोई नाला विद्यमान था और ना ही आराजी खसरा नम्बर 302 एवं प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते के बीच मे कोई नम्बर विद्यमान था। मुताबिक बनाए गये नम्बरों के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 353 व 352 वादीगण के गत खसरा नम्बर 302 का ही एक भाग है जिसे दुरूस्त करवा कर वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।
- सेटलमेन्ट विभाग द्वारा इस प्रकार से रेवेन्यू रिकॉर्ड मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी

अधिकार प्राप्त नही है, और बिना वादीगण को सूचना दिये उक्त किया गया परिवर्तन प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने से नक्शा ट्रेस मे पूर्ववत् दुरूस्ती होने योग्य है, और खसरा नम्बर 352, 353 जो वादीगण के ही खसरा नम्बर 302 का भाग होने के नाते वादीगण के खाते दुरूस्त होकर दर्ज किये जाने योग्य है।

- उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1, विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित करने को उतारु है, जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। और इस हेतु उन्होंने कई लोगों से आराजी को विक्रय करने हेतु बातचीत भी की है, और वादीगण को इसकी जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी क्रम–1 को ऐसा करने से दिनांक 21–7–1998 को मना किया, तो वह झगडा फसाद पर उतारु हो गया और कहने लगा कि वह तो उक्त आराजी को बेचान करके ही रहेगा, और प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा किये जा रहे उक्त अवैधानिक कृत्य को रोकने हेतु वादी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।
- उक्त गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में वादीगण को जानकारी मिलने पर वादीगण ने कई बार राजस्व अधिकारियों से दुरुस्ती हेतु निवेदन किये किन्तु इन्द्राज में दुरुस्ती नहीं की गई, और दिनांक 18–7–1998 को तहसीलदार साहब लाडपुरा ने दुरुस्ती करने से इन्कार कर दिया, जिस पर भी वादीगण को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।
- अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे, प्रतिवादी क्रम–1 व 4 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी मे से खसरा नम्बर 352 व 353 की आराजी वाके ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा का खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण 2 व 3 को संयुक्त रूप से घोषित किया जावे, तथा उक्त खसरा नम्बर 352 को सिवायचक नाला से तथा खसरा नम्बर 353 को प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटाया जाकर उक्त दोनों खसरा नम्बर की आराजी वादीगण के संयुक्त खाते दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी मे दुरूस्ती व अमल दरामद की जावे, तथा नक्शा ट्रेस को पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुरूप दुरूस्त किया जावे।
- प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि रिकॉर्ड मे गलत इन्द्राज के आधार पर वह विवादित आराजी व उसके किसी भी हिस्से को खुर्द–बुर्द नही करे, एवं वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नही करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं वादी करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

1. नकल जमाबंदी संवत् 2052–55 ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा।
2. नकल जमाबंदी संवत् 2052–55 ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा।
3. नकल जमाबंदी संवत् 2034–37 ग्राम रीनपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा।
4. नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग ग्राम रानीपुरा तहसील लाड़पुरा, कोटा।
5. नकल आंशिक नक्शा ट्रेश ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा
6. नकल आंशिक नक्शा ट्रेश ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा संवत् 2013–14

3- ***प्रकरण मे प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13*** *की ओर से प्रतिवाद–पत्र पेश कर निम्न निवेदन किया गया जो संक्षेप मे निम्न प्रकार है–*

- प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.32 हैक्टर व खसरा नम्बर 354 की रकबा 0.03 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 355 की रकबा 3.75 हैक्टर कुल रकबा 4.10 हैक्टर वाके ग्राम रानीपुरा कोटा मे से 1/2 भाग आराजी यानि 2.05 हैक्टर भूमि प्रतिवादी मोहनलाल, बंशीलाल, सूरजमल, गिर्राज प्रसाद, छीतरलाल, पिसरान मडीलाल निवासी–ग्राम गंदीफली कोटा को एवं आधी भूमि रकबा 2.05 हैक्टर प्रतिवादीगण बद्रीलाल, जगदीश प्रसाद, शिवप्रकाश, बनवारीलाल, पिसरान् लालचन्द निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा को विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1997 को पृथक–पृथक विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय कर दी थी तथा तत्पश्चात् ही प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जा चुकी है, जिसकी जानकारी स्वयं वादीगण को प्रारंभ से है तथा वादीगण द्वारा विधि द्वारा प्रदत्त अवधि मे कोई कार्यवाही उक्त विक्रय पत्रों एवं इंतकाल के विरूद्ध आज तक नही की है, ऐसी अवस्था में प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 का अधिकार स्वतः स्थापित हो चुका है, अब वादीगण मात्र उक्त वाद के माध्यम से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा समस्त कार्यो के विरूद्ध कार्यवाहियाँ की जाने की विधिक अवधि

24/4/25

भी समाप्त हो चुकी है।

- प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 के नाम विक्रय–पत्र निष्पादित करवा देने तत्पश्चात् उसके आधार पर प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो जाने तथा लम्बी अवधि तक उक्त अधिकारों को उपयोग करते रहने से अब वादीगण को काई अधिकार ही नहीं रहा है।
- वाद सन् 2000 से लंबित है तथा अभी तक कोई कार्यवाही नही हो पाई है, इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का नही कहा जा सकता है तथा चूंकि इतनी लंबी अवधि मे भी वादीगण द्वारा धारा 80 सीपीसी के अंतर्गत कोई कार्यवाही नही की गई है, जो वाद प्रस्तुती से पूर्व किया जाना आवश्यक था, वादीगण का वाद ही कानून नोटिस के अभाव मे चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 7 द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन मे निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

1. फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1997 मोहनलाल वगै0 के नाम
2. फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1997 मोहनलाल वगै0 के नाम

नकल जमाबंदी संवत् 2060–63 ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

4- प्रकरण के वादपत्र एवं जवाब दावा के तुलनात्मक विवेचन के आधार पर तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई–

1. आया वादी वादपत्र मे वर्णित विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 302 के हाल खसरा नम्बर 348 है जिसका रकबा सेटलमेन्ट द्वारा नक्शे मे कम करके खसरा नम्बर 352 गलत रूप से सिवायचक नाला और खसरा नम्बर 353 प्रतिवादी क्रम–1 के खाते गलत रूप से अंकित किये गये है। –वादी
2. आया वादी विवादित खसरा नम्बर 352 व 353 की आराजी को वादी एवं प्रतिवादी क्रम–2 व 3 के संयुक्त खाते मे दर्ज कराने का अधिकारी है। –वादी
3. आया वादी, प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है –वादी
4. आया प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 के विरूद्ध वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है तथा प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 4 का विवादित आराजी मे कोई अधिकार नही है अतः वादी की प्रार्थना ही प्रभाव–शून्य है। –प्रतिवादी

5- *प्रकरण मे पत्रावली बहस अंतिम मे आने पर वादीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई –*

वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि

- वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा खसरा नम्बर 37 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 83 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 190 की 0.35 हक्टर, खसरा नम्बर 193 की 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 309 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0. 38 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.25 हैक्टर, कुल किता 15 कुल रकबा 8.09 हैक्टर स्थित है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादी क्रम–2 लगायत 3, 1/2, 1/2 हिस्से के हिस्सेदारान व शामलाती खातेदारान है।
- गत खसरा नम्बर 302 जिसके हाल खसरा नम्बर 348 बनाये गये है, उसका पुराने नक्शे के अनुसार रकबा कम कर खसरा नम्बर 352 व 353 अलग से कायम कर वादीगण का रकबा सेटलमेन्ट द्वारा नक्शे मे कमी कर कम कर दिया गया है, और आराजी खसरा नम्बर 353 प्रतिवादी नम्बर–1 के गलत रूप से खाते दर्ज कर दिया एवं खसरा नम्बर 352 गलत रूप से सिवायचक नाला दर्ज कर दिया गया है, जबकि पूर्व के नक्शे मे न तो कोई नाला विद्यमान था और ना ही आराजी खसरा नम्बर 302 एवं प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते के बीच मे कोई नम्बर विद्यमान था। मुताबिक बनाए गये नम्बरों के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 353 व 352 वादीगण के गत खसरा नम्बर 302 का ही एक भाग है जिसे दुरूस्त करवा कर वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।
- सेटलमेन्ट विभाग द्वारा इस प्रकार से रेवेन्यू रिकॉर्ड मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, और बिना वादीगण को सूचना दिये उक्त किया गया परिवर्तन

24/4/26

प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने से नक्शा ट्रेस मे पूर्ववत् दुरूस्ती होने योग्य है, और खसरा नम्बर 352, 353 जो वादीगण के ही खसरा नम्बर 302 का भाग होने के नाते वादीगण के खाते दुरूस्त होकर दर्ज किये जाने योग्य है।

- उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1, विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित करने को उतारू है, जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। और इस हेतु उन्होंने कई लोगों से आराजी को विक्रय करने हेतु बातचीत भी की है, और वादीगण को इसकी जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी क्रम–1 को ऐसा करने से दिनांक 21–7–1998 को मना किया, तो वह झगडा फसाद पर उतारु हो गया और कहने लगा कि वह तो उक्त आराजी को बेचान करके ही रहेगा, और प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा किये जा रहे उक्त अवैधानिक कृत्य को रोकने हेतु वादी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।
- अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे, प्रतिवादी क्रम–1 व 4 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी मे से खसरा नम्बर 352 व 353 की आराजी वाके ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा का खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण 2 व 3 को संयुक्त रूप से घोषित किया जावे, तथा उक्त खसरा नम्बर 352 को सिवायचक नाला से तथा खसरा नम्बर 353 को प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते से हटाया जाकर उक्त दोनो खसरा नम्बर की आराजी वादीगण के संयुक्त खाते दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी मे दुरूस्ती व अमल दरामद की जावे, तथा नक्शा ट्रेस को पूर्व नक्श ट्रेस के अनुरूप दुरूस्त किया जावे।
- प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि रिकॉर्ड मे गलत इन्द्राज के आधार पर वह विवादित आराजी व उसके किसी भी हिस्से को खुर्द–बुर्द नही करे, एवं वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नही करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं वादी करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।
- वादीगण अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–
  1. आर0आर0डी0 1993 पेज 44(सी)
  2. आर0आर0डी0 2004(।।) पेज 1287
  3. आर0बी0जे0 2002 पेज 334
  4. आर0बी0जे0 2004 पेज 66
  5. आर0बी0जे0 2015 पेज 390

6- हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

1. आया वादी वादपत्र मे वर्णित विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 302 के हाल खसरा नम्बर 348 है जिसका रकबा सेटलमेन्ट द्वारा नक्शे मे कम करके खसरा नम्बर 352 गलत रूप से सिवायचक नाला और खसरा नम्बर 353 प्रतिवादी क्रम–1 के खाते गलत रूप से अंकित किये गये है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

≈ मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग संवत् 2038–57 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 302 के नये नम्बर 348 कायम कर रकबा 1.48 कायम किया गया। जमाबंदी संवत् 2034–37 ग्राम रानीपुरा के अवलोकन अध्ययन से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 302 रकबा 14 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे आंशिक रूप से तय की जाती है।

2. आया वादी विवादित खसरा नम्बर 352 व 353 की आराजी को वादी एवं प्रतिवादी क्रम–2 व 3 के संयुक्त खाते मे दर्ज कराने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

≈वादी के कथनानुसार खसरा नम्बर 352 व 353 गत खसरा नम्बर 302 से कायम किये गये है, जबकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 302 से रकबा 348 कायम किया गया है, जिसका रकबा 1.84 हैक्टर है। खसरा नम्बर 352 रकबा 1.14 गैर–मुमकिन नाला राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है एवं खसरा नम्बर 353 रकबा 0.32 हैक्टर कायम किया गया है। उपरोक्त वर्तमान तीनो खसरो के रकबे का योग करने पर कुल रकबा 3.30 हैक्टर बनता है, जो कि गत खसरा नम्बर रकबा 14 बीघा की तुलना मे काफी अधिक है। अतः वादी के कथनों की पुष्टि नही होने के कारण यह

तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वादी, प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

≈ वर्तमान मे उक्त आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 0.32 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने के कारण, वादी प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

4. आया प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 के विरूद्ध वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है तथा प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 4 का विवादित आराजी मे कोई अधिकार नही है अतः वादी की प्रार्थना ही प्रभाव–शून्य है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम–5 लगायत–13 पर था।

≈ वादी के वाद पत्र के अवलोकन अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के संबंध मे वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 0.32 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 के खाते राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है, जो कि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1997 के आधार पर बतौर खातेदार है। अत यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

7- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

☛ सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 302 रकबा 14 बीघा आराजी के सेटलमेन्ट पश्चात् खसरा नम्बर 348 कायम कर रकबा 1.24 हैक्टर दर्ज किया गया, जो कि गत रकबे के मुकाबले कम दर्ज है।

☛ वादीगण के कथनानुसार गत खसरा नम्बर 302 के नये खसरा नम्बर 352, 353, 348 बनना बताया गया है, जिनका कुल रकबा 3.30 हैक्टर है, जो कि गत रकबे के मुकाबले अधिक है।

☛ वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र मे स्पष्ट रूप से अंकित नही किया गया कि वादी का रकबा, गत रकबे के मुकाबले कितना कम हुआ है, कम हुये रकबे की पूर्ति किन–किन खसरा नम्बर से की जानी है का अनुतोष न चाहा जाकर खसरा नम्बर 352 व 353 के संपूर्ण रकबे पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है, जो कि वादी के गत रकबे के मुकाबले अधिक है।

☛ वर्तमान मे खसरा नम्बर 353 रकबा 0.32 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 13 के खाते जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 28.06.1997 से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। वादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बेचान को आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया है और ना ही इस संबंध मे पत्रावली मे वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश किय गये।

☛ जबतक वादीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय प्रभावशून्य/निरस्त नही करा ले, जबतक वादीगण को उक्त आराजी खसरा नम्बर 352 के सबंध मे किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नही है।

☛ **ज्ञातव्य है कि** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के प्रावधाननुसार– **सबूत का भार उस पक्ष पर है जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पक्ष दावा करता है कि कोई निश्चित तथ्य सत्य है, तो उस दावे का समर्थन करने वाले सबूत पेश करना उनकी जिम्मेदारी है** ।

☛ अतः दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे वाद–वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/4/26

(दीपक झालावाड़ीवार)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा
मुख्यालय, कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.

उनवान :–

1–2. भैरूलाल, घनश्याम पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

–(वादीगण)

बनाम

1. यासीन पुत्र याकूब जाति मुसलमान, निवासी रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र बिरधीलाल
3. मुस0 पार्वती बाई पुत्री बिरधीलाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रानीपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा।

5–8. मोहनलाल, बंशीलाल, सूरजमल, गिर्राज प्रसाद पिसरान् मङीलाल जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

9. छीतरलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–

9.1. मूर्ति बाई पत्नी स्व0 छीतरलाल जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

9.2. अनीता पुत्री स्व0 छीतरलाल

9.3 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 छीतरलाल

9.4 प्रदीप पुत्र स्व0 छीतरलाल

नाबालिग जरिये वली माता ग्राम गंदीफली, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

10. बद्रीलाल, जगदीश, शिव प्रकाश बनवारीलाल पुत्रान् लालचन्द जाति माली, निवासी ग्राम गंदीफली, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा।

दावा बाबत : 88,89,188 RTA

GCMS id : 2009/00154

मुकदमा नम्बर : 271/09

निर्णय दिनांक : 24-04-2026

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय की उपस्थिति में वादपत्र पर बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 24–04–2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुंकम कॅवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे वाद–वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 24 अप्रेल, 2026 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	